राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या 2651/2017

श्री कपिल तनेजा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक : 24.05.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री प्रदीप चौधरी, अधिवक्ता– याची की ओर से।
श्री जीतेन्द्र श्रीमाली, लोक अभियोजक।

विद्वान अधिवक्ता याची श्री प्रदीप चौधरी ने निवेदन किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–12, जयपुर महानगर ने एनेक्सर–5 आदेश दिनांक 07.10.2014 के द्वारा पुलिस द्वारा प्रस्तुत नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन को अस्वीकार कर अयाची संख्या–2 व 3 के विरूद्ध धारा 420 एवं 120बी भा.दं.सं. के अपराध में प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्तगण को जमानती वारण्ट से तलब करने का आदेश पारित किया है तथा दिनांक 07.02.2015 के आदेश एनेक्सर–6 द्वारा अभियुक्तगण के जमानत मुचलके तस्दीक करने के बाद प्रकरण को बहस चार्ज हेतु दिनांक 07.04.2015 की तारीख पेशी नियत की गयी। तत्पश्चात दिनांक 30.09.2016 एनेक्सर–7 के आदेश द्वारा प्रकरण को प्री–चार्ज साक्ष्य हेतु नियत कर दिया गया। तदनुसार दिनांक 07.02.2015 के अपने ही आदेश को संशोधित कर दिया, जिसका धारा 362 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने निवेदन किया है कि अन्यथा भी नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन पर प्रसंज्ञान लेना पुलिस रिपोर्ट पर लिये जाने के प्रावधान पर प्रसंज्ञान लिया जाना नहीं माना जा सकता। अतः आलोच्य आदेश एनेक्सर–7 दिनांकित 30.09.2016 तथा दिनांक 05.05.2017 का आदेश जिसके द्वारा कि याची का आवेदन अन्तर्गत धारा 240 दण्ड प्रक्रिया संहिता को अस्वीकार कर दिया गया है, को अपास्त किया जावे।

सुना गया।

अयाचीगण को नोटिस जारी हो।

अयाची संख्या–1 का नोटिस लोक अभियोजक श्री जीतेन्द्र श्रीमाली ने प्राप्त किया।

अयाची संख्या–2 व 3 का नोटिस संबंधित डी.सी.पी. को आठ सप्ताह में वापिसी योग्य तामील हेतु जारी किया जावे।

प्रकरण आठ सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध किया जावे, तब तक विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–12, जयपुर महानगर के समक्ष लंबित आपराधिक प्रकरण संख्या 910/2014(141/2015) सरकार बनाम संदीप शर्मा व अन्य की अग्रिम क्रियान्विति को स्थगित किया जाता है।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

मित्तल/52